न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, बरेली।
फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 151/2026
काजी मोहम्मद हसन बनाम उ0प्र0राज्य आदि

दिनॉक 04.07.2026

पत्रावली पेश हुयी।
प्रार्थी उपस्थित।
विपक्षी सं0–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रार्थी काजी मो0 हसन द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थनापत्र 5ख मय शपथपत्र 6ख परिवाद सं0 246/2024 नाजिम रजा खान बनाम काजी मोहम्मद हसन में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बरेली द्वारा पारित तलवी आदेश दिनॉकित 12.03.2025 के विरूद्ध निगरानी दायरा में हुयी देरी को माफ करने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि तलवी आदेश की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी, न ही कभी उसको न्यायालय से समन प्राप्त हुआ। प्रथम बार दिनॉक 07.02.2026 को हुयी, जब थाना पुलिस उसके विरूद्ध बी0डब्लू0 लेकर गये। उसके परिवार वालों को उपरोक्त वाद के संबंध में जानकारी दी और नियत तिथि न्यायालय पहुंचने को कहा गया। परिवाद की जानकारी होने के उपरान्त उसने बजरिये नकल प्राप्त करने हेतु नकल सवाल डलवाया, जिसकी नकल दिनॉक 17.02.2026 को प्राप्त हुयी। नकल प्राप्त करने के उपरान्त वह यथाशीघ्र निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। नकल प्राप्त करने की दिनॉक से निगरानी अंदर म्याद है। उसने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। केवल परिवाद की जानकारी न होने के कारण दाखिल करने में विलम्ब हुआ है, जो क्षमा योग्य है।

विपक्षी सं0–1 राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित है।

विपक्षी सं0–2 नाजिम रजा की ओर से कोई उपस्थित नहीं और न ही कोई स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थी काजी मो0 हसन ने परिवाद सं0 246/2024 नाजिम रजा खान बनाम काजी मोहम्मद हसन में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बरेली द्वारा पारित तलवी आदेश दिनॉकित 12.03.2025 के विरूद्ध निगरानी दायरा में हुयी देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा परिवाद की जानकारी न होने तथा थाना पुलिस जब बी0डब्लू0 लेकर गये, तो उसे उक्त प्रकरण की जानकारी हुयी। उसे कोई समन प्राप्त नहीं हुआ है। उसके द्वारा उक्त प्रकरण की जानकारी होने पर उसके द्वारा नकल सवाल डाला गया और नकल प्राप्त करने के उपरान्त उसके द्वारा उपरोक्त निगरानी दायर की गयी है, जो नकल प्राप्त करने की दिनॉक से निगरानी अंदर म्याद है। प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है, जिस पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा

मौखिक आपत्ति की गयी। उपरोक्त फौजदारी अपील के विधिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु अपील दाखिल करने में कारित उपरोक्त विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। विधि व्यवस्था सैनिक सिक्योरिटी बनाम शीलवाई 2008(71) ALR 302(SC) की नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि – " While considering the question of condonation of delay u/s 5 of the Limitation Act. 1963 the court is not required to adopt a hyper technical or pedantic approach. It should rather adopt a liberal approach and every day's delay should not be expected to be explaind. If the party is expected to explain the delay for every day then why not the delay for every hour, every minuate and every second. Substantial justice should be preferred over technical justice." उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधिव्यवस्था में पारित अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि प्रार्थी अनूप अग्रवाल का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय मियाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधि0 स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत फौजदारी अपील को प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। उक्त फौजदारी अपील के पंजीकरण/अंगीकरण हेतु न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जाये। उक्त न्यायालय में पक्षकार दिनॉक 13.07.2026 को उपस्थित हों। कार्यालय लिपिक अविलम्ब उक्त पत्रावली कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बरेली के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनॉक 04.07.2026

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
जे0ओ0कोड यू0पी0 6160
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
बरेली।

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.07.15 10:29:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court